बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 4030/C पटना, दिनांक 26/12/18

ग्रा0वि0-5/प्र0आ0यो0(2018-19क0)-102-09/2018

प्रेषक,

कँवल तनुज,भा0प्र0से0
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए संसूचित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की सहायता राशि प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कर्णांकित लक्ष्य के अनुरूप प्राथमिकता सूची में लाभुक उपलब्ध नहीं करने के कारण जिलों द्वारा उक्त कोटि के लक्ष्य का प्रत्यर्पण करने की स्थिति को देखते हुए इस कोटि का 2.46 लाख लक्ष्य को अल्पसंख्यक एवं अन्य (Others)कोटि में परिवर्तित करने के संबंध में भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय से सहमति प्राप्त कर विभागीय पत्र संख्या-375781 दिनांक-20.06.2018 द्वारा प्रतीक्षा सूची में कोटिवार उपलब्ध परिवारों को ध्यान में रखते हुए जिलावार परिवर्तित लक्ष्य संसूचित किये गये थे । किन्तु उक्त व्यवहारिक दृष्टिकोण के बावजूद कतिपय जिलों द्वारा लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति प्रदान नहीं की जा रही है तथा पात्र लाभुकों की अनुपलब्धता बता कर लक्ष्य प्रत्यर्पित करने का प्रस्ताव विभाग को भेजा जा रहा है ।

यह विदित है कि किसी जिला में प्रतीक्षा सूची के क्रम में आने वाले परिवार अथवा सूचीबद्ध अन्य परिवार किसी कारणवश यदि योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं रखते हैं तो ऐसे परिवारों का नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने के लिए Remand की प्रक्रिया पूरी करनी होगी । अत: इस कार्रवाई के बिना लक्ष्य के प्रत्यर्पण का कोई औचित्य नहीं है तथा लक्ष्य लंबित रहने के लिए संबंधित पदाधिकारी जिम्मेवार माने जायेगें । इस कार्रवाई का जिला स्तर से विशेष टीम का गठन कर अनुश्रवण किया जाना भी आवश्यक है ।

योजनान्तर्गत निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए समय-समय पर प्राप्त दिशा-निर्देश से आप सबों को अवगत कराया जाता रहा है और वर्तमान में विशेष अभियान चलाकर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कालबद्ध कार्यक्रम भी प्रेषित किये गये हैं ।

यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा लक्ष्य के अनुरूप लाभुको का आवास निर्माण की पूर्णता 31 मार्च 2019 तक पूरा करने के लिए शत-प्रतिशत लाभुको को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की सहायता राशि इसी माह में प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है, जबकि कतिपय जिलों में लक्ष्य के विरूद्ध आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी लम्बित दृष्टिगोचर हो रही है ।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष में अनुरोध है कि 31 दिसंबर 2018 तक लक्ष्य के अनुरूप सभी लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं प्रथम किश्त की सहायता राशि भुगतान की प्रक्रिया पूरी कर ली जाय । यदि जिला स्तर पर लक्ष्य के अनुरूप प्रतीक्षा सूची में पात्र लाभुक उपलब्ध नहीं हो तो अयोग्य लाभुकों का नाम प्रतीक्षा सूची से हटाने के लिए Remand की प्रक्रिया पूरी कर ली जाय ताकि Remand के कारण प्रभावित लक्ष्य को अन्य कोटि में परिवर्तित करने की कार्रवाई की जा सके ।

विश्वासभाजन

(कँवल तनुज)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक 403010 पटना, दिनांक 24/12/18

प्रतिलिपि- विभाग के सभी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
उनसे अनुरोध है कि अपने प्रभार वाले जिले के पदाधिकारियों से लक्ष्य की प्राप्ति के संबंध में नियमित रूप से संपर्क स्थापित करेगें तथा आवश्यकतानुसार प्रभार वाले जिले का भ्रमण कर कठिनाईयों का समाधान के लिए अपेक्षित सहयोग/सुझाव प्रदान करेगें । जिला संपर्क/भ्रमण की सूचना एवं प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगें ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।